

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहा./एफ-1653/2025/88

दिनांक: 28/02/2025

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत निदेशालय के आदेश क्रमांक सीडी/पीवी/आ.स.नि./87/2380 दिनांक 11.08.1987 के द्वारा निम्नांकित कार्मिक को नेत्र सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी, को इनके नाम के सम्मुख अंकित नियुक्ति/कार्यग्रहण तिथी से नेत्र सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथी/कार्यग्रहण तिथि
1	श्री मानसिंह यादव नेत्र सहायक	जिला चिकित्सालय, भिवाडी, खैरथल-तिजारा।	25.02.1965	21.08.1987

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राज. जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहा./एफ-1653/2025/88

दिनांक: 28/02/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, भिवाडी खैरथल-तिजारा।
2. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राज. जयपुर

क्रमांक: ई-33/नेत्र सहा./एफ-1653/2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, भिवाडी खैरथल-तिजारा।
2. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी (अराजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma

Designation: Director

Date: 27-02-2025 06:37:03